न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 52/2013

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल मैसर्स पहलवान मिष्ठान भण्डार, खिड़की गेट, केकड़ी, अजमेर।
2. मैसर्स पहलवान मिष्ठान भण्डार, खिड़की गेट, केकड़ी, अजमेर।

.......अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री राजेश कुमार त्रिपाठी परिवादी।

–: आदेश :–

दिनांक– 22.06.2017

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्र्ड खोया का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.05.2013 को 01.15 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स– पहलवान मिष्ठान भण्डार, खिड़की गेट, केकड़ी, अजमेर पर पहूँचे श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को नमकीन, मावे की मिठाई,

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

खोया इत्यादि विक्रय कर रहे थे तथा मौके पर 5–6 किलो खोआ फ्रिजर में रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान खोया में मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जॉच हेतु 1 किलो ग्रा0 खोया वास्ते 180/– रूपयें श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल को नगद देकर गवाह श्री प्रेमचन्द शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा खोया को चार अलग–2 जार में बराबर–2 मात्रा में डालने के पश्चात प्रत्येक जार में 20–20 बून्द फार्मलीन परीक्षक डालकर जारों को एयरटाईट बन्द करने के पश्चात चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/499 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2013/6258 दिनांक 01.07.2013 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस. /267/एफएसएसए./2013/268 दिनांक 28.05.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया खोया सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 03.10.2013 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 03.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 22.06.2017 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 22.06.2017 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी को अपना पक्ष पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा समुचित अवसर दिया गया, किन्तु उनकी ओर से न तो जवाब नोटिस पेश किया गया न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वरवक्त बहस वकील अप्रार्थी अथवा अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया खोया सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

Scanned by CamScanner

तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल को रुपये 10000/–(अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 22.06.2017 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.06.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2017/2314-16 दिनांक : 22.6.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

3– श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पुत्र श्री जय कल्याण खण्डेलवाल मैसर्स पहलवान मिष्ठान भण्डार, खिड़की गेट, केकड़ी, अजमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner